न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 123 / 2025

प्रार्थी	**बनाम**	विप्रार्थीगण
सुन्दर देवी पत्नि गोरधनराम वयस्क जाति जाट निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा ।		1. तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी **औपचारिक पक्षकार** 2 भीमाराम पुत्र रगाराम वयस्क 3. महादेवाराम पुत्र जोगाराम वयस्क 4. शंकराराम पुत्र रंगाराम वयस्क जातियान कलबी निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 5. सोनाराम पुत्र प्रभूराम वयस्क 6. मीठालाल पुत्र प्रभूराम वयस्क जातियान पुरोहित निवासीयान जूनी वाली तहसील बागौडा जिला जालोर। 7 कुभाराम पुत्र भोमाराम वयस्क 8 लिछमणाराम पुत्र चिमनाराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान सिणधरी 9 जीवाराम पुत्र वागाराम वयस्क जातियान मील निवासी गुडामालानी जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा–

आदेश

दिनांक– 19.03.2026

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी का खेत वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 87/20 रकबा 0.2589 हैक्टेयर ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आये हुऐ है। कि प्रार्थीनी की खातेदारी के इन्द्राज में नामान्तरण करते समय खसरा नम्बर 87/14 थे तथा ऑन लाईन करते समय राजस्व कार्मिकों की भूल से गलत तरमीन कर दी गई थी। ग्राम सिणधरी चौसीरा के नामा0 संख्या 482 की पुश्त पर खसरा नम्बर 87/4 की तरमीन अंकित है। कि नामान्तरण संख्या 578 (बेचान) द्वारा खसरा संख्या 87/2 रकबा 5–00 बीघा मेसे नया खसरा संख्या 87/2 रकबा 03–00 बीघा खसरा संख्या 87/14 रकबा 1–12 बीघा दर्ज है। नामान्तरण संख्या 632 (बेचान) द्वारा खसरा नम्बर 87/4 रकबा 0–14 बीघा मे से नया खसरा नम्बर संख्या 87/4 रकबा 0.07 बीघा खसरा नम्बर 87/14 रकबा 0–07 बीघा दर्ज किया । इस प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 87/14 रकबा 0–07 बीघा खसरा संख्या 87/4 मे से नामान्तरण संख्या 632 के अनुसार बना जबकि खसरा संख्या 87/20 खसरा संख्या 87/2 मेसे अलग हुआ। नामान्तरण संख्या 632 की पुश्त पर नक्शा अंकित नहीं होने के कारण गलत तरमीन कर दी गई तथा खसरा संख्या 87/4 मेसे विभाजित खसरा संख्या 87/14 की तरमीन 87/4 मेसे होनी चाहिये जबकि राजस्व कार्मिको की भुलवंश 87/20 में कर दी। अत. प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीनी ग्राम सिणधरी चौसीरा खसरा संख्या 87/4 मेसे विभाजित खसरा संख्या 87/14 की तरमीन 87/4 मेसे होनी चाहिये जबकि राजस्व कार्मिको की भुलवंश 87/20 कर दी गई जो लट्ठा ट्रेस में अंकित गलत तरमीम मौके पर प्रार्थीनी की तरमीम जो नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है जो संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार शुद्धिकरण कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से पैरोकार सरकार उप.। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया कि प्रार्थीनी का खेत वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 87/20 रकबा 0.2589 हैक्टेयर ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आये हुऐ है। कि प्रार्थीनी के उक्त नामान्तरण करते समय खसरा नम्बर 87/14 थे तथा ऑन लाईन करते समय राजस्व कार्मिकों की भूल से गलत तरमीन कर दी गई थी। ग्राम सिणधरी चौसीरा के नामा0 संख्या 482 की पुश्त पर खसरा नम्बर 87/4 की तरमीन अंकित है। कि नामान्तरण संख्या 578 (बेचान) द्वारा खसरा संख्या 87/2 रकबा 5–00 बीघा मेसे नया खसरा संख्या 87/2 रकबा 03–00 बीघा खसरा संख्या 87/14 रकबा 1–12 बीघा दर्ज है। नामान्तरण संख्या 632 (बेचान) द्वारा खसरा नम्बर 87/4 रकबा 0–14 बीघा मे से नया खसरा नम्बर संख्या 87/4 रकबा 0.07 बीघा खसरा नम्बर 87/14 रकबा 0–07 बीघा दर्ज किया । इस प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 87/14 रकबा 0–07 बीघा खसरा संख्या 87/4 मे से नामान्तरण संख्या 632 के अनुसार बना जबकि खसरा संख्या 87/20 खसरा संख्या 87/2 मे से अलग हुआ। नामान्तरण संख्या 632 की पुश्त पर नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अंकित नहीं होने के कारण गलत तरमीन कर दी गई तथा खसरा संख्या 87/4 मेसे विभाजित खसरा संख्या 87/14 की तरमीन 87/4 मेसे होनी चाहिये जबकि राजस्व कार्मिको की भुलवंश 87/20 में कर दी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीनी ग्राम सिणधरी चौसीरा खसरा संख्या 87/4 मेसे विभाजित खसरा संख्या 87/14 की तरमीन 87/4 मेसे होनी चाहिये जबकि राजस्व कार्मिको की भुलवंश 87/20 कर दी गई जो लट्ठा ट्रेस में अंकित गलत तरमीम मौके पर प्रार्थीनी की तरमीम जो नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है जो संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार शुद्धिकरण कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावें। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीनी का खेत वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 87/20 रकबा 0.2589 हैक्टेयर ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आये हुऐ है। कि प्रार्थीनी के उक्त नामान्तरण करते समय खसरा नम्बर 87/14 थे तथा ऑन लाईन करते समय राजस्व कार्मिकों की भूल से गलत तरमीन कर दी गई थी। ग्राम सिणधरी चौसीरा के नामा0 संख्या 482 की पुश्त पर खसरा नम्बर 87/4 की तरमीन अंकित है। कि नामान्तरण संख्या 578 (बेचान) द्वारा खसरा संख्या 87/2 रकबा 5–00 बीघा मेसे नया खसरा संख्या 87/2 रकबा 03–00 बीघा खसरा संख्या 87/14 रकबा 1–12 बीघा दर्ज है। नामान्तरण संख्या 632 (बेचान) द्वारा खसरा नम्बर 87/4 रकबा 0–14 बीघा मे से नया खसरा नम्बर संख्या 87/4 रकबा 0.07 बीघा खसरा नम्बर 87/14 रकबा 0–07 बीघा दर्ज किया। इस प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 87/14 रकबा 0–07 बीघा खसरा संख्या 87/4 मे से नामान्तरण संख्या 632 के अनुसार बना जबकि खसरा संख्या 87/20 खसरा संख्या 87/2 मेसे अलग हुआ। नामान्तरण संख्या 632 की पुश्त पर नक्शा अंकित नहीं होने के कारण गलत तरमीन कर दी गई तथा खसरा संख्या 87/4 मेसे विभाजित खसरा संख्या 87/14 की तरमीन 87/4 मे से होनी चाहिये जबकि राजस्व कार्मिको की भुलवंश 87/20 में कर दी। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 153 दिनांक 02.02.2026 से होता है, इस प्रकार प्रार्थीनी के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्राथीनीं मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्राथीनीं का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सिणधरी चौसिरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खसरा खसरा नम्बर 87/20 व 87/14 के भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 153 दिनांक 02.02.2026 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी